नैना-मैना और सामुदायिक निगरानी

VIKAS SAMVAD

नैना-मैना और सामुदायिक निगरानी

सामुदायिक निगरानी की चित्रकथा

वर्ष – जुलाई 2021

लेखन और संयोजन

- सचिन कुमार जैन
- राजेश भदौरिया

संपादन

- विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी
- राकेश कुमार मालवीय

विविध सहयोग

- आरती पाराशर
- फ़रहत नशीं
- अंजली आचार्य
- रामकुमार विद्यार्थी
- मनोज गुप्ता
- कमलेश नामदेव

चित्रांकन

- शिरीष श्रीवास्तव

सज्जा

- अमित सक्सेना

मुद्रक

- अमित प्रकाशन

प्रकाशक

विकास संवाद

ए-5, आयकर कॉलोनी, जी-3 गुलमोहर (शील पब्लिक स्कूल के पीछे), बावड़िया कलां,
भोपाल (म.प्र.) – 462 039 फोन : 0755 – 4252789, ई-मेल : vikassamvad@gmail.com

यह पुस्तिका उन सामुदायिक कार्यकर्ताओं, सक्रिय महिलाओं, युवाओं, मैदानी कार्यकर्ताओं, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को समर्पित है जो अपने नेतृत्व के जरिए गांव में स्वास्थ्य एवं पोषण समस्याओं के निराकरण के लिए मिलकर पहल करना चाहते हैं और गांव में सबके लिए खाद्य सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रयास कर रहे हैं।

अनुक्रमणिका

पृष्ठ संख्या – 01

सामुदायिक निगरानी क्या, क्यों और कैसे

पृष्ठ संख्या – 09

राशन दुकान की सामुदायिक निगरानी

पृष्ठ संख्या – 15

आंगनवाड़ी सेवाओं की सामुदायिक निगरानी

पृष्ठ संख्या – 22

मातृत्व हक की सामुदायिक निगरानी

पृष्ठ संख्या – 27

पोषण और स्वास्थ्य के सामुदायिक व्यवहार की निगरानी

पृष्ठ संख्या – 36

मध्यान्ह भोजन की सामुदायिक निगरानी

पृष्ठ संख्या – 43

गांव को कुपोषण मुक्त कराने की पहल

पृष्ठ संख्या – 49

सामुदायिक निगरानी के प्रपत्र

1. समुदाय द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी 49
2. समेकित बाल विकास सेवाएं (आंगनवाड़ी) 53
3. समुदाय द्वारा मातृत्व हक की निगरानी 57
4. समुदाय द्वारा मातृत्व पोषण एवं व्यवहार की निगरानी 61
5. मध्यान्ह भोजन (एमडीएम) 65
6. समुदाय द्वारा महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की निगरानी 69

समतापुर के बारे में ....

समतापुर की नई पहचान अब अन्नपूर्णा पंचायत के पोषण समृद्ध ग्राम के रूप में हो गयी है।
इस गांव में अब महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण बेहतर हो गया है। अधिकांश घरों में पोषण बाड़ी लगी हुई है और लोग अपनी पोषण बाड़ी से रोज ताजे फल और सब्जियों का उपयोग करते हैं। जबकि, एक साल पहले ही समतापुर की पहचान एक बीमार गांव के रूप में थी। महिलाओं और किशोरियों में खून की कमी और बच्चों में कुपोषण यहां की बड़ी समस्या थी। इस गांव में अल्पपोषण और उससे जुड़ी बीमारियों के कारण पिछले एक साल में ही 5 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। गर्भवती महिलाओं की स्थिति तो और भी चिंताजनक थी, प्रसव के दौरान रमिया की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन उसके बच्चे को भी नहीं बचा पाए, बाद में डॉक्टर बता रहे थे, कि रमिया की मृत्यु का प्रमुख कारण खून की कमी था, इसके अलावा वह गर्भावस्था में पूरे समय मजदूरी करती रही इस कारण वह अपने स्वास्थ्य, खान-पान और आराम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई थी। गांव में राशन की दुकान का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसके नियमित खुलने के दिन और समय निश्चित न होने के कारण गांव के कई लोग हर महीने का राशन नहीं ले पाते थे कई बार अच्छी गुणवत्ता का राशन भी नहीं मिलता था इस कारण लोग राशन दुकान से राशन लेने से बचते थे।
सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी न होने के कारण वे सरकार की सभी योजनाओं जैसे स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ पेय जल, स्वच्छता, पोषण बाड़ी, जैविक खेती आदि का पूरा लाभ नहीं ले पा रहे थे।
समतापुर को पोषण समृद्ध ग्राम से अन्नपूर्णा पंचायत बनाने के लिए यहां की सरपंच लीलाबाई ने कई प्रयास किए हैं। पोषण सरकार के अंतर्गत राशन दुकान स्तर की सतर्कता समिति, सहयोगिनी मातृ समिति, शाला प्रबंधन समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति आदि समितियां सक्रियता से सेवाओं और योजनाओं की देखरेख और सहयोग करती हैं। स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को बेहतर करने के लिए युवाओं के साथ मिलकर सतर्कता और निगरानी दल का गठन किया गया है। ये निगरानी दल समय-समय पर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के संचालन का अध्ययन करते हैं और बेहतरी के लिए सुझाव देते हैं। गांव में महिलाओं और युवाओं के समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों की बैठकों में गांव की दिक्कतों जरूरतों और प्राथमिकताओं को तय कर समस्याओं को हल करने के लिए नियमित सहभागितापूर्ण सीखना व क्रियान्वयन (पी.एल.ए.मीटिंग) होती हैं। नैना और मैना युवा समूह की सक्रिय सदस्य हैं।

प्रमुख पात्र

नैना

मैना

पंचायत सचिव

सरपंच
(लीलाबाई)

दिनेश
(सामुदायिक निगरानी दल लीडर)

पूजा
(सामुदायिक निगरानी दल सदस्य)

रामलाल

सलमा
(सामुदायिक निगरानी दल सदस्य)

शीला
(आंगनबाड़ी कार्यकर्ता)

नफीसा बी

लाली
(सहयोगिनी माता समिति सदस्य)

रीमा
(सामुदायिक निगरानी दल सदस्य)

एएनएम

आशा

गीता
(सामुदायिक निगरानी दल सदस्य)

खुशीबानो
(सामुदायिक निगरानी दल सदस्य)

शिक्षक

शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष

स्वसहायता समूह अध्यक्ष

सामुदायिक निगरानी

क्या, क्यों और कैसे

सामुदायिक निगरानी, वो क्या होती है?
पंचायत भवन
सामुदायिक निगरानी का मतलब है कि लोग खुद अपनी योजनाओं की देखरेख करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से छूटे नहीं।
स्वास्थ्य केन्द्र
अपने गांव में कौन-कौन सी योजनाओं की सामुदायिक निगरानी की जाती है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में शामिल-राशन दुकान, आंगनवाड़ी में पोषण, मातृत्व हक और मध्यान्ह भोजन आदि योजनाओं और कार्यक्रमों की सामुदायिक निगरानी का प्रावधान है।

सामुदायिक निगरानी दल के सदस्य राशन दुकान, आंगनवाड़ी, से क्या-क्या जानकारी लेते हैं।
सामुदायिक निगरानी दल सबसे पहले सेवाओं पर जाकर जानकारी लेते हैं कि उनके यहाँ से कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं और इनमें क्या-क्या लाभ मिलता है।
शा. उचित मूल्य की दुकान
मूल्य-
गेहूं- 1 रु. कि.
चावल- 1 रु. कि.
नमक- 1 रु. कि.
दाल- 27 रु. कि.
जैसे कि राशन की दुकान में कौन-कौन सा खाद्यान्न आया,कितना आया और कितने लोगों को वितरित किया गया। फिर उसके लाभार्थियों से भी जानकारी लेते हैं।
शा. उचित मूल्य की दुकान
मूल्य-
गेहूं- 1 रु. कि.
चावल- 1 रु. कि.
नमक- 1 रु. कि.
दाल- 27 रु. कि.
इसी तरह आंगनवाड़ी से जानकारी लेते हैं कि आंगनवाड़ी में कितने बच्चे, गर्भवती और धात्री माताएं दर्ज हैं, उनके लिए कितना पोषण आहार आया और कितना बांटा गया।

और अगर राशन दुकान,आंगनवाड़ी और स्कूल से निगरानी दल को जानकारी न दें तो क्या होगा?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में समुदाय के लोगों को सामाजिक अंकेक्षण और सामुदायिक निगरानी करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए सेवा प्रदाता जानकारी देने से मना नहीं कर सकते हैं।
शा. उचित मूल्य की दुकान
मूल्य-
गेहूं 1 रु. कि.
चावल- 1 रु. कि.
नमक- 1 रु. कि.
दाल- 2 रु. कि.
55
यदि फिर भी जानकारी न मिले तो क्या होगा?
यदि कोई जानकारी नहीं दे या गडबड़ी करे तो सबसे पहले अपनी राशन दुकान स्तर पर बनी सतर्कता समिति को बताएं वह कार्यवाही करेंगे, यदि फिर भी बात नहीं बने तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी (कलेक्टर) को लिखित में शिकायत करेंगे।
जिला कलेक्टर कार्यालय
जिला शिकायत निवारण अधिकारी

अच्छा अब समझ में आया, इसीलिए सरपंच जी और पंचायत के सदस्यों ने निगरानी दल बनाए हैं। ताकि सभी जरूरतमंदों को फायदा मिल सके और कोई छूटे नहीं।
अरे वाह, कितनी अच्छी हैं हमारी सरपंच जी, सबका खयाल रखती हैं और जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का फायदा भी दिलवाती हैं।
निगरानी दल बनाने का एक फायदा यह भी है कि गांव के लोग खुद ही अपने गांव की सेवाओं की देखरेख करते हैं तो उन सेवाओं में उनकी भागीदारी भी बढ़ती है।

हां, हमारे मोहल्ले के रमेश भैया भी इस निगरानी दल में शामिल हैं। वह बता रहे थे कि निगरानी दल साल में चार बार अध्ययन करेंगे और अपने गांव में सेवाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट तैयार करेंगे।
मेरे मोहल्ले में भी इन लोगों ने आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों की माताओं के साथ मीटिंग की थी, दो लोगों ने राशन दुकान के बारे में मेरी मम्मी और लोगों से जानकारी ली थी, दो लोगों ने गर्भवती और धात्री माताओं के साथ बात की थी तो दो लोगों ने स्कूल में मध्यान्ह भोजन के बारे में जानकारी ली थी।
यहां जानकारी लेने का मकसद है कि अपने गांव में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और इससे जुड़ी हुई योजनाओं का संचालन अच्छी तरह से हो, हर जरूरतमंद को योजनाओं का फायदा मिले। कोई भी जरूरतमंद पात्र व्यक्ति या परिवार योजनाओं के फायदे से छूटे नहीं।
उचित मूल्य का दुकान
क्या होगा निगरानी दल द्वारा जमा की गयी जानकारी का?

इस जानकारी से अपने गांव में योजनाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट बनेगी, इस रिपोर्ट में अच्छाई और कमी दोनों बातें शामिल होंगी, ताकि जो कमी है ठीक किया जाए और जो अच्छाई है उसे और अच्छा किया जा सके।
स्थिति रिपोर्ट
स्थिति रिपोर्ट किसे दी जायेगी यानी उस पर कार्यवाही कौन करेगा?
स्थिति रिपोर्ट सबसे पहले गांव में ग्रामसभा के सदस्यों को सुनाई जाएगी ताकि लोग उसे सुन समझ कर छूटे हुए बिंदु उसमें जोड़ सकें और कमियों को ठीक करने के लिए योजना बना कर कार्यवाही करें।

क्या ये रिपोर्ट सरकारी विभागों को भी दी जाएगी?
हाँ, बेहतरी के सुझावों और मांगपत्र के साथ यह रिपोर्ट स्थानीय स्तर पर पंचायत को और ब्लॉक स्तर पर संबंधित विभाग के कार्यालय में दी जाएगी।
चलो हम लोग भी पंचायत भवन में चल कर देखें कि वहां क्या हो रहा है?
हां हां, चलो चलते हैं।
पंचायत भवन

राशन दुकान
की
सामुदायिक
निगरानी
पोषण समृद्ध ग्राम से अन्नपूर्णा पंचायत की विशेष ग्रामसभा में आप सभी का स्वागत है।
पोषण समृद्ध ग्राम से अन्नपूर्णा पंचायत
रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए मैं सबसे पहले राशन व्यवस्था निगरानी दल से पूजा को आमंत्रित कर रहा हूँ वे आएं और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
पोषण समृद्ध
से अन्नपूर्णा
सभी सदस्यों को सादर नमस्ते, इस अध्ययन में हमारे दल ने राशन की दुकान में कितना राशन आया और कितना बांटा गया के बारे में जानकारी ली और लाभार्थियों से उनके द्वारा प्राप्त राशन की नियमितता, मात्रा और गुणवत्ता के बारे में जानकारी जमा कर ये रिपोर्ट तैयार की है

राशन दुकान पर खाद्यान्न वितरण के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में ये प्रावधान किये गए हैं-

1- प्राथमिकता श्रेणी वाले परिवारों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के मान से खाद्यान्न दिया जाता है।

2- अन्त्योदय श्रेणी वाले परिवारों में हर परिवार को हर महीने 35 किलो खाद्यान्न मिलता है।

3- यह खाद्यान्न सस्ती कीमत (चावल-3 रुपये/किलो, गेहूं-2 रुपये/ किलो और बारीक अनाज 1 रुपये/ किलो की दर) से मिलता है।

अध्ययन से निकले प्रमुख बिंदु -

1- राशन दुकान में दर्ज कुल हितग्राही 250 परिवार हैं, इसमें 175 परिवार पास के गावों के हैं और 75 परिवार समतापुर के हैं।

2- समतापुर गांव की कुल जनसंख्या 472 है। कुल 105 परिवार हैं इनमे से 25 परिवार अन्त्योदय श्रेणी के हैं। 30 परिवार बीपीएल और 20 परिवार प्राथमिकता श्रेणी के हैं।

3- हर महीने की 5, 6 ,7 तारीख को दिन के 11 बजे से 5 बजे तक समतापुर गांव के लोग अपना राशन ले सकते हैं।

4- राशन दुकान से मिलने वाले राशन की गुणवत्ता ठीक होती है।

5- गांव में 4 परिवार ऐसे हैं जिनका नाम प्राथमिकता सूची में जोड़ने की जरूरत है। इनमें 2 परिवार के मुखिया बस और ट्रक के ड्राईवर हैं और 2 परिवार फेरी लगाकर सामान बेचने का काम करते हैं।

6- पिछले तीन महीने में राशन दुकान से प्रति सदस्य 5 किलो के बजाय 4 किलो राशन दिया गया।

7- राशन दुकान से महीने में तीन दिन राशन वितरण होने के कारण पिछले तीन महीने में 20 परिवार राशन नहीं ले पाए।

बहुत अच्छी जानकारी दी है पूजा ने, प्राथमिकता सूची में से जो नाम छूट गए हैं वे सभी लोग पंचायत सचिव जी से मिल-कर सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज ही आवेदन जमा करवा दें।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार सस्ती दर पर राशन के लिए मध्यप्रदेश में कुल 25 प्राथमिकता श्रेणी तय की गई हैं। इनकी सूची पंचायत भवन के सूचना पटल पर लगी हुई है।
मनोहर बहुदिव्यांग हैं और फूल सिंह मछुआ समिति के पंजीकृत सदस्य हैं। इस सूची के अनुसार तो इन दोनों को भी राशन दुकान से सस्ती दर पर राशन मिलेगा?
हां बिलकुल मिलेगा, यदि कोई व्यक्ति या परिवार खाद्यान्न योजना से वंचित है तो उसे जोड़ने के लिए आधार कार्ड, प्रमाणपत्र और फोटो सहित पंचायत में आवेदन करें और पोर्टल पर दर्ज कराएं।

सरपंच साहब हमारी भी वृद्धावस्था पेंशन बनवा दीजिए, कोई देखभाल करने वाला नहीं है।
दादा, कल आप पंचायत कार्यालय आ जाइये, हम आपका फॉर्म भरवा देंगे। विभाग से मंजूर होने के बाद आपको पेंशन भी मिलने लगेगी और राशन दुकान से अनाज भी मिलेगा।
डीलर भईया ये तो गंभीर शिकायत है, तुम लोगों को राशन कम देते हो और राशन वितरण भी सिर्फ 3 दिन ही क्यों करते हो?
सरपंच जी, हमारे पास 4 गांव के लोग राशन लेने आते हैं, सभी गांव के लोग एक साथ राशन लेने आ जाएं तो बहुत भीड़ हो जाती है इसलिए सभी गांव के लिए अलग-अलग दिन बांट रखे हैं।

सरपंच जी, हमारी भी कई दिक्कतें हैं, हमें गोदाम से कम खाद्यान्न मिलता है, बोरी फट जाती हैं, खाद्यान्न गिर जाता है, कई बार खाद्यान्न गीला होता है जो सूखने के कारण कम हो जाता है, इसी कारण कम देना पड़ता है ताकि सभी को मिल सके।

डीलर भईया, आज से आप महीने भर राशन की दुकान खोलिए और सभी को उनकी पात्रता के हिसाब से राशन दीजिए. सतर्कता समिति के 2 सदस्य आपके काम में सहयोग करेंगे। सोसाइटी से प्राप्त राशन की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करेंगे, और जो भी दिक्कत होगी उस बारे में जिले के अधिकारियों को सूचित करेंगे।

राशन दुकान पर सतर्कता समिति की सूची लगी है। राशन में परेशानी होने पर किसी सदस्य को सूचित करें। हम मिलकर समस्या हल करेंगे, यदि हल नहीं होगी तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी (कलेक्टर) से शिकायत करके समस्या का हल करवाएंगे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार मध्य प्रदेश में पात्र परिवारों की श्रेणियां

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 25 श्रेणियों को पात्र परिवार की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, ये श्रेणियां निम्नलिखित हैं –

1. अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार।
   (प्राथमिकता श्रेणी परिवार)
2. बी.पी.एल. परिवार।
3. मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य सांनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक परिवार।
4. गांवों में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत पंजीकृत भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवार।
5. साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उसका परिवार।
6. हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उसका परिवार ।
7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उसका परिवार ।
8. अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में रहने वाले बच्चे तथा निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन।
9. पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएं।
10. पंजीकृत फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)।
11. वनाधिकार पट्टेधारी।
12. रेलवे के पंजीकृत कुली।
13. मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।
14. बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक।
15. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक।
16. समस्त भूमिहीन कोटवार।
17. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी।
18. पंजीकृत केश शिल्पी।
19. पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति।
20. एचआईवी (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से योजना का लाभ लेना चाहते हों)।
21. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार बशर्ते कि वह प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कर्मचारी/अधिकारी एवं आयकरदाता न हों।
22. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार बशर्ते कि वह प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कर्मचारी/अधिकारी एवं आयकरदाता न हों।
23. मत्स्य पालन के लिए बनी (मछुआ) मत्स्य सहकारी समितियों के पंजीकृत सदस्य एवं परिवार।
24. वे परिवार, जिनकी 50% फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो गयी हो।
25. प्रदेश के पंजीकृत व्यवसायिक वाहन चालक/परिचालक।

आंगनवाड़ी सेवाओं की सामुदायिक निगरानी

आंगनवाड़ी में पोषण सेवाओं के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में ये प्रावधान किये गए हैं -

1- हर गर्भवती एवं धात्री महिला को गर्भधारण के समय से लेकर बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक आंगनवाड़ी से घर ले जाने के लिए 600 कैलोरी व 18-20 ग्राम प्रोटीनयुक्त पूरक पोषाहार दिया जाएगा।

2- 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को घर ले जाने के लिए 500 कैलोरी व 12-15 ग्राम प्रोटीनयुक्त पूरक पोषाहार दिया जाएगा।

3- 3-6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र पर 500 कैलोरी व 12-15 ग्राम प्रोटीन-युक्त नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन दिया जाएगा।

4- कुपोषित बच्चों को घर ले जाने के लिए 800 कैलोरी व 20-25 ग्राम प्रोटीनयुक्त पूरक पोषाहार दिया जाएगा।

5- आंगनबाड़ी द्वारा संबंधित क्षेत्र में कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी।

6- प्रत्येक आंगनवाड़ी में रसोईघर की सुविधा होगी और पीने का स्वच्छ पानी एवं शौचालय उपलब्ध करवाया जाएगा।

7- हर माह बच्चों का वजन और लंबाई दर्ज करके वृद्धि निगरानी की जाएगी।

8- आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से विटामिन ए एवं आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण किया जाएगा।

9- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गर्भवती धात्री महिलाओं और गंभीर कुपोषित बच्चों के घर जाकर उनसे संवाद और परामर्श किया जाएगा।

आंगनवाड़ी सेवाओं की सामुदायिक निगरानी अध्ययन से निकले प्रमुख बिंदु-

- आंगनवाड़ी में बच्चों की औसत उपस्थिति 25 तक रहती है यानी सभी बच्चे आंगनवाड़ी नहीं पहुंच पाते हैं।
- 3 से 6 साल के बच्चों के लिए गर्म पका भोजन साँझा चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल में मध्यान्ह भोजन से आता है बच्चों को गर्म नाश्ता और तीसरा भोजन नहीं दिया जाता है।
- 6 माह से 3 साल के बच्चों के लिए टीएचआर का वितरण हर सप्ताह किया जाता है लेकिन घर पर इसे परिवार के सभी लोग खाते हैं।
- 5 साल तक की उम्र के बच्चों की वृद्धि निगरानी होती है पर इसका रिकार्ड रजिस्टर में नहीं भरा गया है।
- कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त टीएचआर दिया जाता है।
- आंगनवाड़ी में गांव की सभी किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं का आंगनवाड़ी में पंजीयन है पर नियमित आंगनवाड़ी नहीं आती हैं।
- किशोरियों गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के साथ स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता पर नियमित शैक्षिक सत्रों का आयोजन किया जाता है।
- एनीमिया की जांच किट नहीं हैं इसलिए एनीमिया की जांच नहीं हो रही है।
- आयरन फोलिक एसिड की गोली नियमित दी जाती है।

अच्छा प्रस्तुतिकरण किया सलमा, आंगनवाड़ी में बहुत काम करने की जरूरत है, कार्यकर्ता जी बताइए आपकी आंगनवाड़ी में बच्चे कम क्यों आते हैं?
सरपंच जी बच्चों को बुलाने के लिए मैं तो सहायिका को घर-घर भेजती हूँ गृह भेंट करने भी जाती हूँ पर बच्चे आते ही नहीं हैं।
हम लोग आंगनवाड़ी में बच्चे क्यों भेजें! जब उन्हें वहां कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा है, खेल-खिलौने भी नहीं हैं..
पका हुआ नाश्ता और खाना भी तो नहीं मिलता है। बस बच्चों को सत्तू का पैकेट देकर वापस भेज देती हैं..

कार्यकर्ता जी आप आंगनवाड़ी तय समय सुबह 9.30 से दोपहर 3.30 तक लगाना निश्चित करें, बच्चों को गर्म नाश्ता और भोजन नियमित खिलाएं, उनके साथ गीत, कहानी गतिविधियां करें, खेलने के लिए खेल-खिलौने दें, फिर देखें बच्चे जरूर आएंगे..
आप सभी लोग अपने बच्चों को आंगनवाड़ी जरूर भेजें, आंगनवाड़ी में दर्ज सभी बच्चों की हर महीने वृद्धि निगरानी की जाएगी और रजिस्टर में और बच्चों के कार्ड में भी दर्ज किया जाएगा।
आंगनवाड़ी के बेहतर संचालन के लिए हर आंगनवाड़ी स्तर पर अब सहयोगिनी मातृ समिति का गठन भी किया गया है, समिति के सदस्य माताओं, बच्चों को आंगनवाड़ी में आने के लिए प्रेरित करने में सहयोग करेंगे।
मैं गुरुवार को सहयोगिनी मातृ समिति की मीटिंग बुलाऊंगी, सब मिलकर सहयोग करेंगे तो हमारी आंगनवाड़ी सबसे अच्छी बन जाएगी।

मैं सहयोगिनी मातृ समिति की सदस्य हूँ हमारी समिति में 12 सदस्य हैं, हम लोग मीटिंग करके जिम्मेदारियां लेंगे और आंगनवाड़ी को अच्छा बनायेंगे।
हां-हां, हम सब जिम्मेदारियाँ लेंगे, हर बच्चे को आंगनवाड़ी में लाएंगे और अपनी आंगनवाड़ी को सबसे अच्छा बनायेंगे।
आंगनवाड़ी में एनीमिया टेस्टिंग किट खत्म हो गयी है, इनको मैं अगले सप्ताह तक ले आउंगी..
आंगनवाड़ी निगरानी दल ने बहुत अच्छा काम किया है। आज आंगनवाड़ी की कई समस्याओं के बारे में बात हुई और हल भी निकले हैं।

मैना, आज यह बात तो स्पष्ट हो गयी कि अगर आंगनवाड़ी नियमित खुले और जरूरी सेवाएं मिलें तो बाल अल्प पोषण और बाल मृत्यु जैसी समस्याओं को बहुत कम किया जा सकता है।

हां नैना, ये गर्भवती और धात्री माताओं के साथ-साथ किशोरियों के लिए भी बहुत जरूरी है, इन सभी को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता पर उपयोगी जानकारी के साथ-साथ जरूरी पोषण आहार भी मिलता है।

मातृत्व हक की सामुदायिक निगरानी
अरे वाह, 'मातृत्व हक की सामुदायिक निगरानी' की रिपोर्ट प्रस्तुति के लिए रीमा दीदी आ रही हैं।
सभी को नमस्ते, इस अध्ययन के लिए हमारे दल ने आंगनवाड़ी से हितग्राही महिलाओं की जानकारी प्राप्त की इसके बाद उन महिलाओं से चर्चा करके रिपोर्ट तैयार की है।

मातृत्व हक के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में ये प्रावधान किए गए हैं-

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उन गरीब मजदूर महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से गर्भावस्था के दौरान अपनी स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती हैं

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मातृत्व लाभ के रूप में गर्भवती और धात्री महिला को प्रथम गर्भावस्था के दौरान कम से कम 6000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

गर्भवती महिला की उम्र 19 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

इस योजना की राशि कुल तीन किश्तों में दी जाएगी ।

पहली किश्त की राशि 1000 रुपए गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन करने पर (एलएमपी के 150 दिन के अन्दर) प्राप्त होगी।

दूसरी किश्त की राशि 2000 रुपये गर्भावस्था के 6 माह तक न्यूनतम 1 प्रसवपूर्व जांच कराने पर (एलएमपी के 180 दिवस के बाद) प्राप्त होगी।

तीसरी किश्त की राशि 2000 रुपये नवजात शिशु के जन्म उपरांत पंजीयन कराने पर व शिशु को बीसीजी, ओपीवी, एचबीवी, पेंटावेलेंट 1,2,3 का निर्धारित समयसीमा में टीकाकरण कराने पर प्राप्त होगी।

चौथी किश्त की राशि रुपए संस्थागत प्रसव के बाद मातृत्व लाभ के मान्य नियमों के हिसाब से दी जाएगी।

मातृत्व हक की सामुदायिक निगरानी रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु -

- महिलाओं को इस योजना में आवेदन देने की प्रक्रिया की जानकारी है।
- गर्भावस्था के दौरान एएनएम द्वारा नियमित जांचें एवं टीकाकरण किया जाता है।
- बच्चों के जन्म के बाद बी.सी.जी, ओ.पी.वी ,पेंटावेलेंट का टीका सभी बच्चों को लगा है और रजिस्टर में दर्ज है।

- इन चार के अलावा 3 और गर्भवती महिलाएं गांव में मिलीं जिनका ना तो आंगनवाड़ी में पंजीयन किया गया है और ना ही उनकी स्वास्थ्य जांच हुई है। ये तीनों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए पात्र भी हैं।

बहुत अच्छा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और ए एन एम बहन जी आप लोग बधाई के पात्र हैं जो आप लोग मातृत्व की देखभाल इतने ध्यान से कर रहे हैं।
रीमा, तुम उन तीनों गर्भवती महिलाओं का विवरण मुझे दे दो ताकि कल ही मैं उनका पंजीयन और स्वास्थ्य जांच कर सकूं।
हर महीने के दूसरे मंगलवार को आंगनवाड़ी पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वीएचएनडी) का आयोजन होता है, इस दिन एएनएम भी आती हैं और स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण भी होता है इसमें आप लोग जरूर आएं।
स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से संबंधित कोई भी समस्या होने पर आप लोग ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (वीएचएसएनसी) के सदस्यों को भी जानकारी दे सकते हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि सभी के खातों में समय पर आ जाती है। कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई।

मैना एक बात तो है जब काम अच्छा होता है तो तारीफ अपने आप होती है।
हाँ नैना, इस चर्चा के बाद से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितने आत्मविश्वास से भरी दिख रहीं हैं।

पोषण और स्वास्थ्य के सामुदायिक व्यवहार की निगरानी

माताओं और बच्चों के अच्छे पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए प्रमुख सामुदायिक व्यवहार इस प्रकार हैं

- गर्भावस्था के पहले महीने में गर्भवती महिला का पंजीयन कराना एवं जच्चा-बच्चा कार्ड बनवाना जरूरी है।
- गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व चार जांचें एवं टीकाकरण कराना जरूरी है।
- गर्भवती महिलाओं के लिए आराम, खानपान और सम्मानजनक व्यवहार जरूरी है।
- प्रसव से पहले सम्मानजनक सुविधाओं वाला सुरक्षित प्रसव स्थान (अस्पताल) तय कर लेना चाहिए।
- बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध जरुर पिलाया जाना चाहिए इसके साथ ही 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए।
- बच्चे को 6 माह का हो जाने के बाद 2 साल तक माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार दिया जाना चाहिए जिसमें दाल, सब्जी, गुड़, खाने का तेल या घी जो खाते हैं, उन्हें अंडे, नरम स्थानीय फल आदि भी खिलाए जा सकते हैं।

अध्ययन से निकले प्रमुख बिंदु -

1. अध्ययन के लिए 30 महिला और 20 पुरुष कुल 50 लोगों से जानकारी ली गई।
2. चर्चा में शामिल सभी लोग मानते हैं कि गर्भावस्था में आंगनवाड़ी या अस्पताल में पंजीयन कराना और समय पर स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण कराना जरूरी है।
3. चर्चा में शामिल सभी 50 लोगों का मानना है कि प्रसव संस्थागत होना चाहिए।
4. चर्चा में शामिल 42 लोगों का मानना है कि नवजात शिशु को पहला गाढा दूध (कोलेस्ट्रम) जरूर पिलाना चाहिए।
5. चर्चा में शामिल 8 लोगों ने कहा कि उन्होंने बच्चे को माँ का पहला दूध नही दिया था इसके बजाय शहद या अन्य कोई चीज चटाई थी।
6. 40 लोगों ने बताया कि उनके घर में टीएचआर का उपयोग सिर्फ गर्भवती या धात्री महिला के पोषण आहार के लिए ही होता है जबकि 10 लोगों ने कहा कि पोषण आहार को पूरे परिवार के लोग खाते हैं।
7. भोजन की विविधता के लिए 30 लोगों ने अपने घर में पोषण बाड़ी (किचिन गार्डन) बनाए हैं।
8. गांव में सभी परिवार 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नही करते हैं और न कम उम्र की बहू लाते हैं।
9. गाव में सभी परिवारों में लड़का और लड़की दोनों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है।

गीता और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई इस टीम ने लोगों से उन बातों के बारे में भी चर्चा की जिनके बारे में लोग कहते हैं कि हमारे समाज में तो ये परंपरा से चला आ रहा है और इसे हम नहीं बदल सकते हैं।
कुछ बातें हैं जिन पर हम सभी को विचार करने की जरूरत है, जैसे बच्चे को माँ का पहला दूध पिलाना बहुत जरूरी है।
आप सभी लोग अपने-अपने घर में पोषण बाड़ी जरूर लगाएं, इसके लिए बीज हम पंचायत की ओर से उपलब्ध करा देंगे।
शुद्ध और ताजी सब्जियां हमारे स्वास्थ्य और पोषण के लिए बहुत जरूरी होती हैं पोषण बाड़ी तो मैं भी लगाउंगी।

गर्भवती महिला और धात्री माताओं को दिया गया पोषण आहार सभी लोग खाते हैं यह ठीक नहीं है उनका पोषण आहार अन्य लोगों को नहीं खाना चाहिए।
गर्भावस्था में बहुत मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए और आराम भी करना चाहिए।
सामुदायिक व्यवहारों के बदलाव में हमें पुरानी हानिकारक परंपराओं को छोड़ने के साथ-साथ कुछ नयी पोषण की परंपराओं को भी शुरू करना होगा।
जैसे कि बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण करवाना, महिलाओं में खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करने के तरीके अपने रोज के भोजन में शामिल किये जा सकते हैं।

लोहे की कढ़ाई में खाना पकाएं और खाने के साथ नीबू या खट्टी चीजें खाएं तो भी खून की कमी दूर होती है।
...जानकारी देने के साथ-साथ हम हर गर्भवती को (लोहे की कढ़ाई, मुनगा का पौधा, टमाटर, नीबू और मौसमी फल) की भेंट देंगे।
बहुत अच्छा आइडिया है सरपंच जी, हम इसे अपने गांव के साथ-साथ दूसरे गांवों की भी परंपरा बनाएंगे और एनीमिया मुक्त समाज बनाएंगे।
एनीमिया से मुक्त होंगे, माँ और बच्चे स्वस्थ होंगे

एक बात और है, अपने गांव में आजकल स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाली चीजें जैसे टॉफी, चॉकलेट, पफ्स, चिप्स एवं अन्य तली हुई सामग्री का उपयोग बच्चे खूब करने लगे हैं। इनमे नमक, शकर और तेल की अधिकता होती है, जिसके कारण बच्चों में मोटापा, तनाव, हृदय रोग, जैसी समस्याएं बढ़ती हैं हमें इन चीजों के उपयोग में कमी लाना है।

अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री

हमारे पास खाने के लिए कितनी सारी पौष्टिक चीजें हैं। हम बच्चों को उन्हें खिला सकते हैं जैसे- मूंगफली की चिक्की, चना, गुड़, मक्का के फूले, सत्तू, बेर, स्थानीय मौसमी फल और सब्जियों को रोज खाने की आदत भी बनानी होगी।

स्वास्थ्यप्रद खाद्य सामग्री

हमारे शरीर को काम करने के लिए उर्जा की जरूरत होती है, यह ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है जो सभी तरह के अनाजों से प्राप्त होती है।
गेहूं
ज्वार
चावल
बाजरा
मक्का
हमारे शरीर को बढ़ने के लिए भोजन में हमें प्रोटीन और वसा की जरूरत होती है। प्रोटीन हमें सभी तरह की दालों, दूध और दूध से बने पदार्थ, अंडा एवं मांस-मछली में मिलता है, और वसा हमें तेल घी से मिलता है।
हमें बीमारियों से बचने के लिए कई विटामिन और खनिज तत्वों की जरूरत होती है। ये पोषक तत्व हमें फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं।
हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं खाने के लिए यदि हम लोग इन पौष्टिक चीजों फल, सब्जी, अलग-अलग तरह के अनाज, दालें आदि से बच्चों के लिए रोज अलग-अलग तरह का भोजन बनाएं तो बच्चे खूब रूचि से खाएंगे।

एक बात और है, सिर्फ सेवाओं के अच्छे बनने से या समितियों के सक्रिय होने एवं सेवाओं और योजनाओं की निगरानी करने से ही पोषण समृद्ध ग्राम से अन्नपूर्णा पंचायत और पोषण सरकार नहीं बन जाएगी।

इसके लिए गांव और बस्ती के सभी लोगों को भी जिम्मेदारी लेकर साफ-सफाई के व्यवस्था बनानी होगी। हमारे गांव की गलियों में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं, कहीं-कहीं पानी जमा है, इस गंदगी से बीमारियां फैलती हैं।

सबसे पहले तो हम सभी आज यह वादा करें कि हम सभी अपने घर के आसपास सफाई रखेंगे, कचरा तय जगह पर डालेंगे और पानी जमा नहीं होने देंगे।

कचरा पेटी

पंचायत की ओर से शौचालय तो हर घर में बना दिए गए हैं लेकिन अभी भी कई लोग खुले में शौच जाते हैं। जो कि बीमारियों को खुला आमंत्रण है।

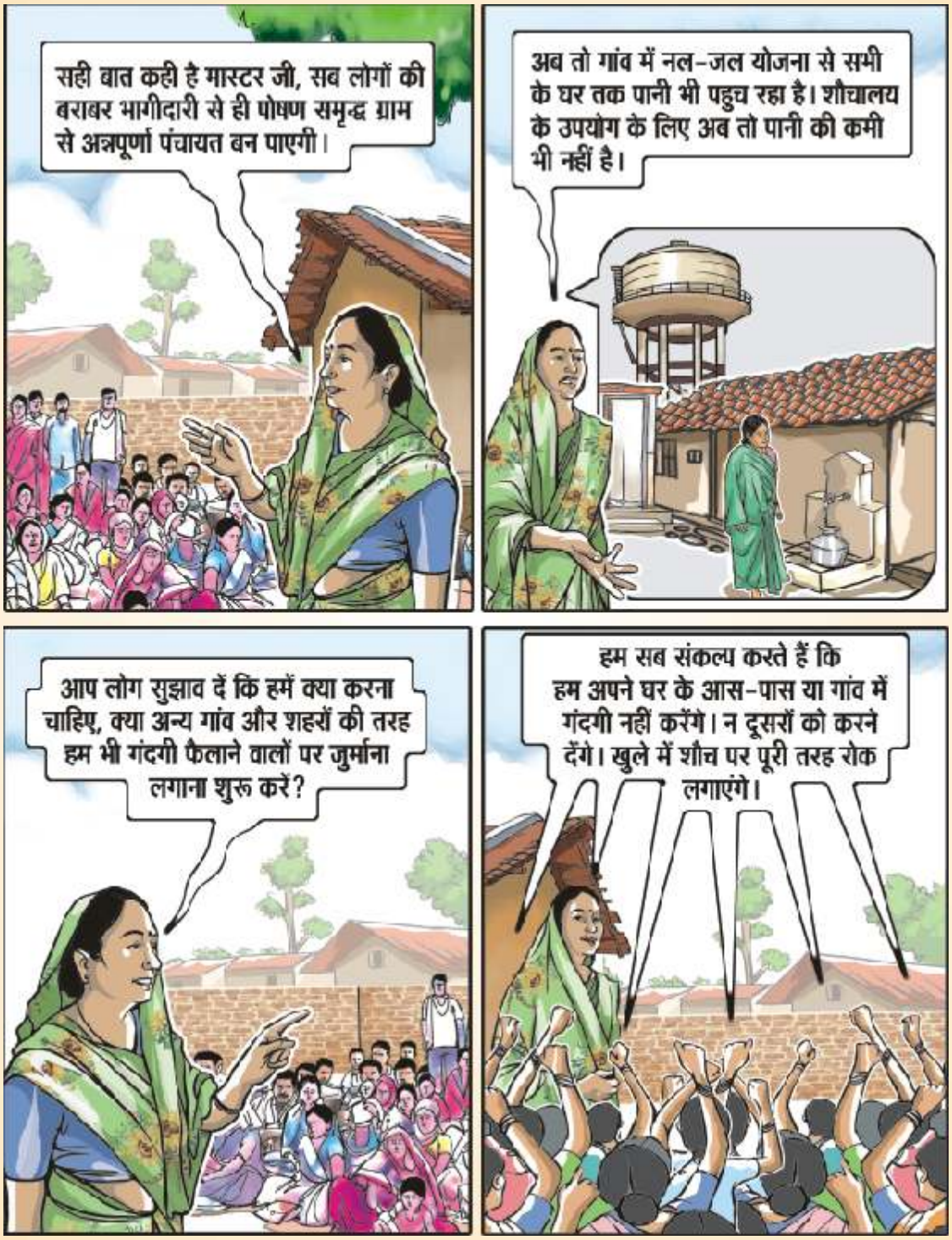
सही बात कही है मास्टर जी, सब लोगों की बराबर भागीदारी से ही पोषण समृद्ध ग्राम से अन्नपूर्णा पंचायत बन पाएगी।
अब तो गांव में नल-जल योजना से सभी के घर तक पानी भी पहुच रहा है। शौचालय के उपयोग के लिए अब तो पानी की कमी भी नहीं है।
आप लोग सुझाव दें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या अन्य गांव और शहरों की तरह हम भी गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाना शुरू करें?
हम सब संकल्प करते हैं कि हम अपने घर के आस-पास या गांव में गंदगी नहीं करेंगे। न दूसरों को करने देंगे। खुले में शौच पर पूरी तरह रोक लगाएंगे।

मध्यान्ह भोजन की सामुदायिक निगरानी
ओहो, खुशी बानो आ रही हैं प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में मध्यान्ह भोजन योजना की सामुदायिक निगरानी अध्ययन दल की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत करने।
सभी को नमस्ते! इस अध्ययन के लिए हमारे दल ने स्कूल में मध्यान्ह भोजन का अवलोकन किया शिक्षकों, एसएमसी सदस्यों और पालकों से बात करके जानकारी प्राप्त की और रिपोर्ट तैयार की है।
हां, स्कूल के मध्यान्ह भोजन को बेहतर करने की बहुत जरुरत है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में मध्यान्ह भोजन के लिए प्रावधान-

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में दोपहर का भोजन दिया जाएगा। यह उन सभी बच्चों का अधिकार है।
- हर स्कूल में रसोई घर, पीने का साफ पानी और शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा।
- यह कार्यक्रम गांव स्तर पर स्वयं सहायता समूह द्वारा और नगरीय स्तर पर केंद्रीयकृत रसोई द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- सोमवार से लेकर शनिवार तक के लिए स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का मेन्यू तय किया गया है। रसोइया इसी के अनुसार मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराएगा।
- प्राथमिक शाला के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन (सोमवार, बुधवार और शुक्रवार) को प्रति छात्र 100 मि.ली. पावडर से बना हुआ दूध भी उपलब्ध कराया जाएगा।

इस अध्ययन से निकल कर आए बिंदु इस प्रकार हैं -
रसोइया द्वारा भोजन पकाने के दौरान सफाई का ध्यान रखा जाता है।
बच्चों को भोजन कराते समय सफाई का ध्यान रखा जाता है, बच्चे टाट-पट्टी पर बैठ कर साफ बर्तनों में खाना खाते हैं।
खाना स्वादिष्ट बनता है और बच्चे चाव से खाते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है । सभी बच्चे साथ बैठकर खाते हैं।
खाने का जो मेन्यू दीवार पर लिखा है उसके अनुसार भोजन नहीं बनता है रसोइया को जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है वही पका दिया जाता है।
स्कूल में बच्चों के पानी पीने के लिए पानी का फिल्टर है, इसे हैण्डपंप के पानी से भर लिया जाता है।
स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बने हैं बच्चे इनका उपयोग करते हैं लेकिन सफाई नहीं है और बदबू आती है।
शाला प्रबंधन समिति और सतर्कता समिति के लोग समय-समय पर स्कूल में आते हैं और वे मध्यान्ह भोजन भी देखते हैं ।

स्कूल में मध्यान्ह भोजन और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए हमारे कुछ सुझाव हैं–
1–स्कूल में मध्यान्ह भोजन चूल्हे पर पकाया जाता है इससे रसोइयों को दिक्कत होती है इसके लिए स्कूल में गैस कनेक्शन लेना उचित रहेगा।
2–मध्यान्ह भोजन जो मेन्यू दीवार पर लिखा है उसी के अनुसार बच्चों को खिलाया जाए।

3–स्कूल में पोषण बाड़ी बनाई जाए और उसकी ताजी सब्जियों को मध्यान्ह भोजन में उपयोग किया जाए।
4–पोषण बाड़ी के पास में एक कम्पोस्ट पिट बनाया जाए ताकि बचा हुआ भोजन और पेड़ों की पत्तियां इसी में डाल कर खाद बनाई जाए और उसे पोषण बाड़ी में उपयोग किया जाए।

5-शौचालय के अंदर पानी की व्यवस्था हो और उसे नियमित साफ कराया जाए।
शौचालय
खुशी और टीम के सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई, इस दल के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं इनको पूरा करवाने के लिए शाला प्रबंधन समिति को जिम्मेदारी लेनी होगी।
कल से मेनू के अनुसार ही बच्चों को भोजन खिलाया जाएगा। शाला प्रबंधन समिति के 2 सदस्य स्कूल में जाकर देखेंगे, सतर्कता समिति की ओर से मैं खुद भी देखने आऊंगी।
जी सरपंच जी, बच्चों को मेन्यू के अनुसार ही भोजन दिया जाएगा।

मध्यान्ह भोजन की देखरेख के लिए एसएमसी के 2 सदस्य नियमित स्कूल जाकर भोजन का स्वाद चख कर भी देखेंगे।
मास्टर साहब, स्कूल के शौचालय में नियमित सफाई के लिए किसी कर्मचारी को रख लीजिए उसकी मजदूरी का खर्चा पंचायत से दिया जाएगा।
जी सरपंच जी आज ही बात करता हूँ।
आप लोग स्कूल में पोषण बाड़ी बना लीजिए अपने बच्चों को ताजी सब्जियां और अच्छा पोषण मिलेगा। स्कूल में जगह भी है सभी एस.एम.सी.सदस्य 1 दिन का समय निकाल लें, और मिलकर एक सुंदर पोषण बाड़ी बनाएं।

जी सरपंच साहब, 3 दिन बाद शुक्रवार को हम लोग स्कूल में पोषण बाड़ी बनाएंगे। मैं सभी सदस्यों को खबर कर देता हूं।
क्यों मैना, स्कूल में पोषण बाड़ी बनाना बच्चों के लिए तो बहुत उपयोगी रहेगा, वे ताजी सब्जियां तो खाएंगे ही साथ ही पौधों से संबंधित पाठ की बातें भी सीखेंगे।
हमारे गांव में सतर्कता और निगरानी की प्रक्रिया अब चलती रहेगी। साल में चार बार यानी हर तीन महीने में हम लोग सेवाओं की रिपोर्ट के साथ मिलेंगे और इनको और बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे।
आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

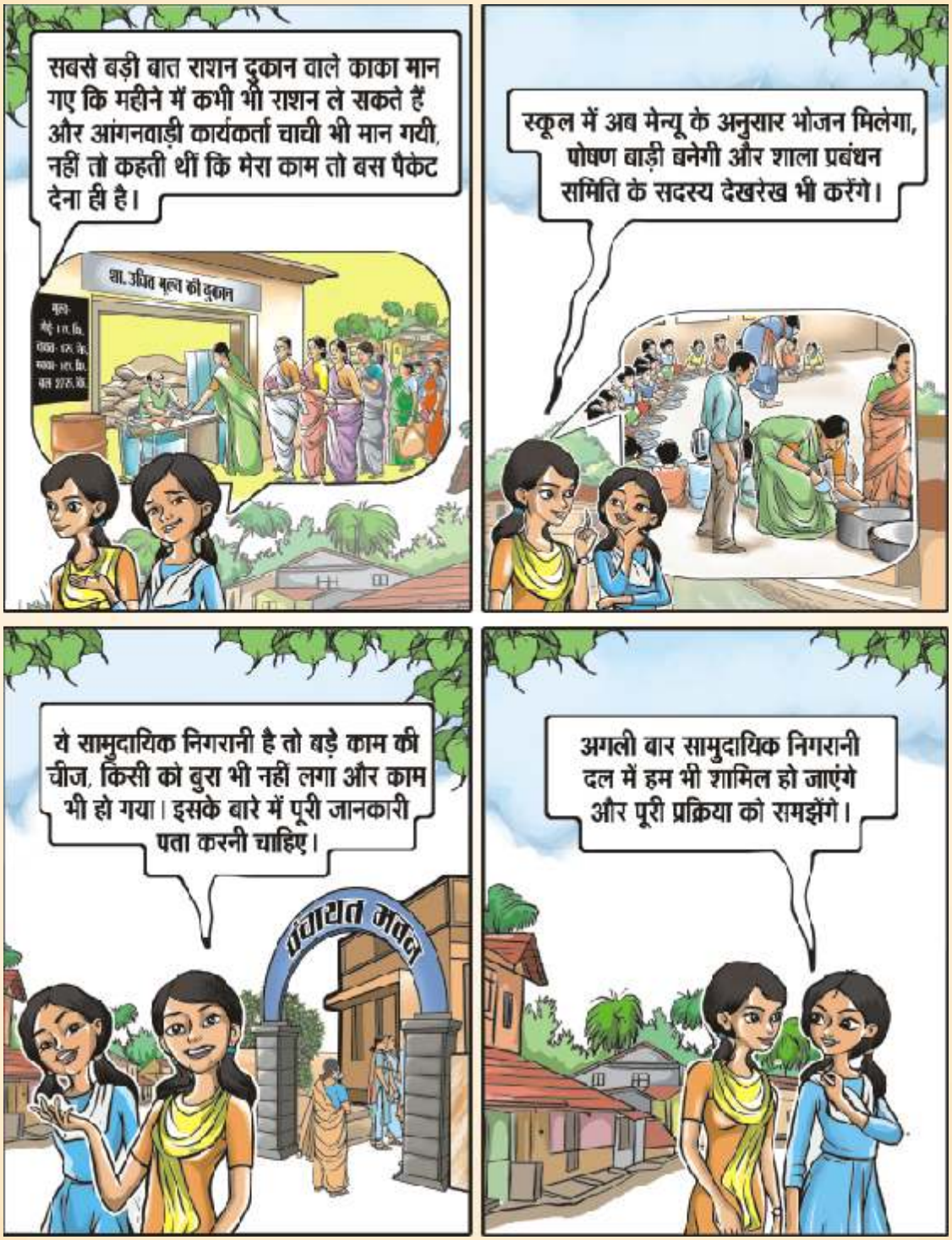
सबसे बड़ी बात राशन दुकान वाले काका मान गए कि महीने में कभी भी राशन ले सकते हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चाची भी मान गयी, नहीं तो कहती थीं कि मेरा काम तो बस पैकेट देना ही है।
शा. उचित मूल्य की दुकान
स्कूल में अब मेन्यू के अनुसार भोजन मिलेगा, पोषण बाड़ी बनेगी और शाला प्रबंधन समिति के सदस्य देखरेख भी करेंगे।
ये सामुदायिक निगरानी है तो बड़े काम की चीज, किसी को बुरा भी नहीं लगा और काम भी हो गया। इसके बारे में पूरी जानकारी पता करनी चाहिए।
पंचायत भवन
अगली बार सामुदायिक निगरानी दल में हम भी शामिल हो जाएंगे और पूरी प्रक्रिया को समझेंगे।

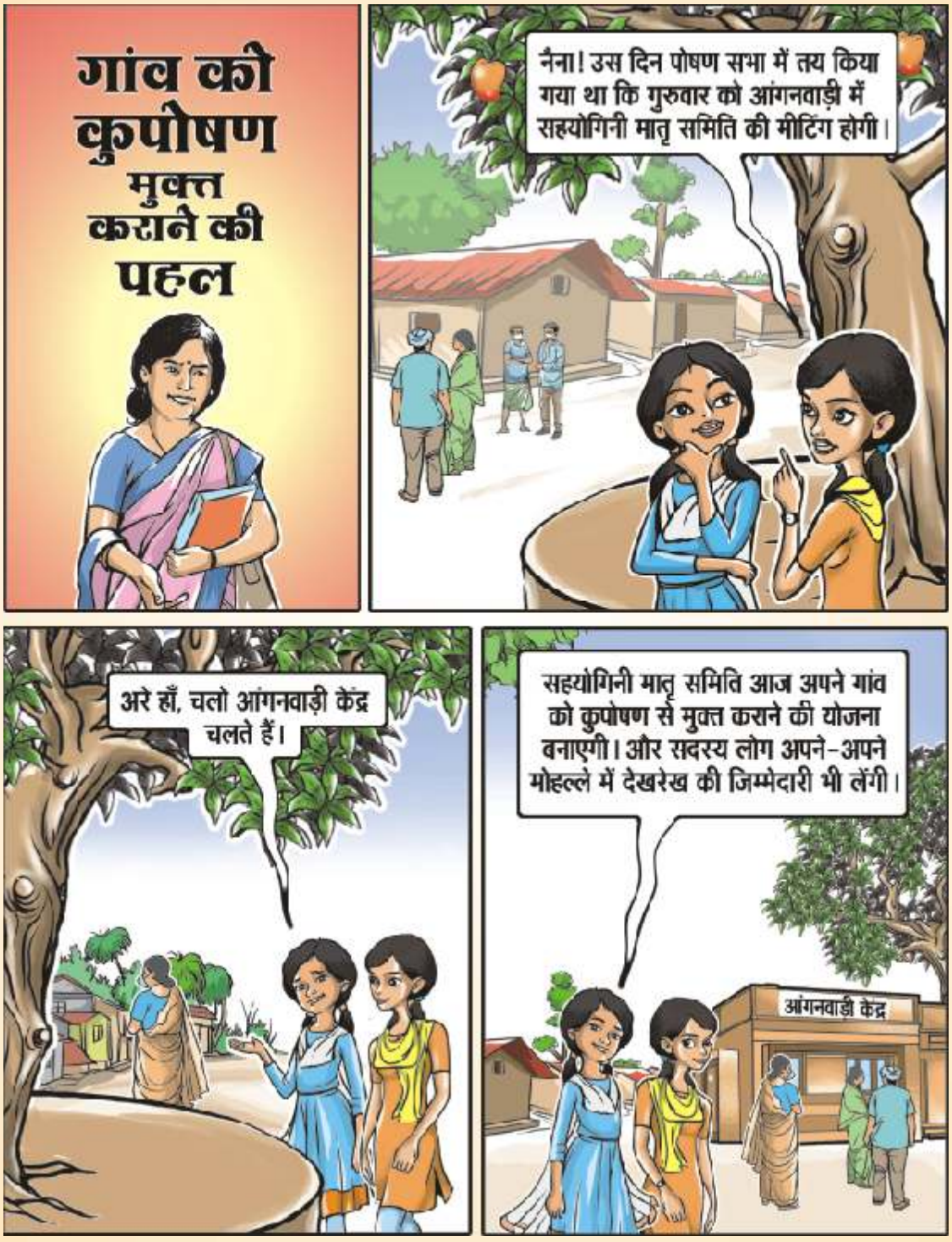
गांव को कुपोषण मुक्त कराने की पहल
नैना! उस दिन पोषण सभा में तय किया गया था कि गुरुवार को आंगनवाड़ी में सहयोगिनी मातृ समिति की मीटिंग होगी।
अरे हाँ, चलो आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं।
सहयोगिनी मातृ समिति आज अपने गांव को कुपोषण से मुक्त कराने की योजना बनाएगी। और सदस्य लोग अपने-अपने मोहल्ले में देखरेख की जिम्मेदारी भी लेंगी।
आंगनवाड़ी केंद्र

अरे वाह! नैना और मैना भी आ गई हैं।
नमस्ते.. नमस्ते ..
सभी को नमस्ते...
पिछले एक साल में समतापुर में खाद्य और पोषण सेवाएं बेहतर हुई हैं। इसका असर बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है।
सही बात है सलमा दीदी ! अब अस्पताल में मरीजों की भीड़ भी नहीं होती है, अब लोग पहले की तरह बीमार नहीं होते हैं।

लेकिन अपना गांव अभी तक कुपोषण मुक्त नही हुआ है, अपने गांव को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए हम सभी को कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी।
आंगनवाड़ी में दर्ज सभी बच्चे नियमित आंगनवाड़ी नहीं आते हैं, इसलिए उनका नियमित वजन और वृद्धि निगरानी नहीं हो पाती है।
अब तो सहयोगिनी मातृ समिति की सदस्य हर मोहल्ले में हैं। और मोहल्ला स्तर पर उपसमिति भी तो बनाई गई है, तो उप समिति के साथ मिलकर हम लोग घर-घर जाकर संपर्क करेंगे और बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजने के लिए प्रेरित करेंगे.।
ये अच्छा तरीका है। पोषणसभा में तय किए गए कार्यवाही के बिंदु सलमा दीदी बोलती जाएं और आप लोग उस बिंदु को हल करने के तरीके बताती जाइए।

गर्भावस्था का पता चलते ही तुरंत गर्भवती का आंगनवाड़ी में पंजीयन और स्वास्थ्य जांच होना होना जरूरी है।
गर्भावस्था का पता चलते ही आंगनवाड़ी में पंजीयन, स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण की जानकारी तो सहयोगिनी मातृ समिति की सदस्य अपने मोहल्ले की मीटिंग में बार-बार बताएंगी।
सहयोगिनी मातृ समिति को पूरक आंगनवाड़ी में पोषण आहार की प्राप्ति, वितरण और उसकी गुणवत्ता की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है? इसे कैसे करेंगे?
इसका सबसे अच्छा तरीका है कि 4 सदस्यों को जिम्मेदारी दे दी जाए, जो पोषण आहार की प्राप्ति और वितरण के समय पोषण आहार की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करें।

6 महीने के लिए निगरानी दल की सदस्य कौन हो सकती हैं?
नफीसा बी, लाली, मंजू और रचना ..
घरों में पोषणवाड़ी के लिए भी एक प्रेरक दल बनाने की जरूरत है।
भोजन में विविधता एवं ताजे फल और सब्जियों के लिए घरों में पोषण बाड़ी होना बहुत जरूरी है। इससे बाजार से महँगी सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ती है।
आप सभी लोग अपने अपने मोहल्ले की उप-समितियों में से कुछ लोगों को साथ लेकर प्रेरक दल बना सकते हैं।
ये प्रेरक दल पोषण बाड़ी के लिए लोगों को प्रेरित करने, स्थान चयन करने, बीज उपलब्ध कराने, और पोषण बाड़ी की देखरेख में सहयोग करेंगे।
आप सभी के सहयोग से अपनी आंगनवाड़ी दिनों दिन अच्छी होती जा रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम कुपोषण मुक्त ग्राम हो जाएंगे। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद।

सामुदायिक निगरानी के छोटे-छोटे प्रयासों से हमने तो हमारे समतापुर की सेवाओं को अच्छा बना लिया। आप लोग अपने यहां सामुदायिक निगरानी की प्रक्रिया कब शुरू कर रहे हैं?

सामुदायिक निगरानी का प्रपत्र

समुदाय द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी

1

सामुदायिक निगरानी कौन करेगा?

सामुदायिक समूह / महिला समूह / युवा समूह / स्वयं सहायता समूह / किसी कार्यक्रम के तहत गठित सामुदायिक समूह / सतर्कता समिति।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली - मुख्य प्रावधान

- उचित मूल्य की दुकान से राशन हेतु पात्र परिवारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है - अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार, प्राथमिकता श्रेणी के परिवार (अलग-अलग राज्यों की स्थिति अनुसार सूची बनाएँ एवं प्रपत्र में शामिल करें)।
- राशन कार्ड में वरिष्ठ महिला को मुखिया बनाया गया है।
- अन्त्योदय श्रेणी के परिवारों को गेहूं रु. 2 प्रति किग्रा, चावल रु. 3 प्रति किलो, मोटे अनाज रु. 1 प्रति किलो की दर से कुल 35 किलो अनाज मिलता है। प्राथमिकता श्रेणी के परिवार को गेहूं रु. 2 प्रति किग्रा, चावल रु. 3 प्रति किलो, मोटे अनाज रु. 1 प्रति किलो की दर से प्रति परिवार सदस्य 5 किलो अनाज मिलता है। (अपने राज्य के अनुसार जानकारी को अपडेट कर सकते हैं।)
- पात्र परिवारों को निर्धारित मात्रा में अनाज न मिलने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जायेगा।
- योजना पर नजर रखने हेतु राज्य, जिला, विकास खंड एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर सतर्कता समिति का गठन किया गया है।
- किसी भी तरह की समस्या के समाधान हेतु आंतरिक एवं बाह्य शिकायत निवारण व्यवस्था बनायी गयी है।

1.0 सामान्य जानकारी

1.1 जिले का नाम ..... 1.2 ब्लॉक का नाम .....

1.3 पंचायत का नाम ..... 1.4 गाँव का नाम .....

1.5 विक्रेता का नाम .....

1.6 गाँव की सामान्य जानकारी

तिमाही	कुल परिवार	कुल जनसंख्या	अंत्योदय परिवार	प्राथमिकता श्रेणी के परिवार	ऐसे परिवारों की संख्या, जिनके सभी सदस्यों को एनएफएसए का लाभ नहीं मिल रहा है?
प्रथम तिमाही					
दूसरी तिमाही					
तीसरी तिमाही					
चौथी तिमाही					

2.0 सुविधाओं के अवलोकन एवं चर्चा के बिंदु स्थिति के संकेतक अच्छी स्थिति मध्यम स्थिति खराब स्थिति		माह			
		स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही
2.1	क्या गांव के सभी पात्र परिवारों के नाम एनएफएसए में शामिल हैं ? सबसे वंचित परिवार योजना में शामिल हैं ?				
2.2	क्या समुदाय को एनएफएसए की मुख्य बातें पता हैं ? अधिकारों, प्रावधानों, शिकायत निवारण के बारे में पूछें ?				
2.3	क्या गांव के सभी पात्र परिवारों व परिवार के सभी सदस्यों को पात्रता के हिसाब से हर महीने राशन मिल रहा है ?				
2.4	क्या परिवार के सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जुड़े हैं ?				
2.5	उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले राशन की गुणवत्ता ?				
2.6	पीडीएस से मिलने वाले राशन का तौल / माप सही होता है ? (इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन है और लोग वजन देख सकते हैं)				
2.7	राशन कार्ड महिला मुखिया के नाम बने हैं ?				
2.8	राशन दुकान से राशन लेने में किसी तरह की दिक्कत ?				
2.9	राशन दुकान के खुलने / बंद होने का समय लोगों के लिए सुविधाजनक है ?				
2.10	उचित मूल्य की दुकान में पर्याप्त जगह एवं भंडारण की उचित व्यवस्था है ?				
2.11	सतर्कता समिति राशन दुकान की निगरानी करती है ? इसमें महिलाएं हैं ?				
2.12	क्या उचित मूल्य की दुकान पर सूचना पटल है और मासिक सूचना दर्ज है ?				
राशन विक्रेता का पक्ष _____					
निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक					

माह				माह			
स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही	स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही

राशन विक्रेता का पक्ष _____

निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

2.0 सुविधाओं के अवलोकन एवं चर्चा के बिंदु स्थिति के संकेतक अच्छी स्थिति मध्यम स्थिति खराब स्थिति		माह			
		स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही
2.1	क्या गांव के सभी पात्र परिवारों के नाम एनएफएसए में शामिल हैं ? सबसे वंचित परिवार योजना में शामिल हैं ?				
2.2	क्या समुदाय को एनएफएसए की मुख्य बातें पता हैं ? अधिकारों, प्रावधानों, शिकायत निवारण के बारे में पूछें ?				
2.3	क्या गांव के सभी पात्र परिवारों व परिवार के सभी सदस्यों को पात्रता के हिसाब से हर महीने राशन मिल रहा है ?				
2.4	क्या परिवार के सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जुड़े हैं ?				
2.5	उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले राशन की गुणवत्ता ?				
2.6	पीडीएस से मिलने वाले राशन का तौल / माप सही होता है ? (इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन है और लोग वजन देख सकते हैं)				
2.7	राशन कार्ड महिला मुखिया के नाम बने हैं ?				
2.8	राशन दुकान से राशन लेने में किसी तरह की दिक्कत ?				
2.9	राशन दुकान के खुलने / बंद होने का समय लोगों के लिए सुविधाजनक है ?				
2.10	उचित मूल्य की दुकान में पर्याप्त जगह एवं भंडारण की उचित व्यवस्था है ?				
2.11	सतर्कता समिति राशन दुकान की निगरानी करती है ? इसमें महिलाएं हैं ?				
2.12	क्या उचित मूल्य की दुकान पर सूचना पटल है और मासिक सूचना दर्ज है ?				
राशन विक्रेता का पक्ष _____					
निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक					

सामुदायिक निगरानी का प्रपत्र

समेकित बाल विकास सेवाएं (आंगनवाड़ी)

2

सामुदायिक निगरानी कौन करेगा?

सामुदायिक समूह / महिला समूह / युवा समूह / स्वयं सहायता समूह / किसी कार्यक्रम के तहत गठित सामुदायिक समूह / सतर्कता समिति।

समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) - मुख्य प्रावधान

- हर गर्भवती महिला एवं धात्री माताओं को गर्भधारण के समय से लेकर बच्चे के जन्म के 6 माह तक आंगनवाड़ी से घर ले जाने के लिए 600 कैलोरी व 18-20 ग्राम प्रोटीनयुक्त पूरक पोषाहार दिया जायेगा।
- 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को घर ले जाने के लिए 500 कैलोरी व 12-15 ग्राम प्रोटीनयुक्त पूरक पोषाहार दिया जायेगा।
- 3-6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर 500 कैलोरी व 12-15 ग्राम प्रोटीनयुक्त नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन दिया जायेगा।
- आंगनवाड़ी द्वारा संबंधित क्षेत्र में कुपोषित बच्चों की पहचान की जायेगी।
- कुपोषित बच्चों को घर ले जाने के लिए 800 कैलोरी व 20-25 ग्राम प्रोटीनयुक्त पूरक पोषाहार दिया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त अति कम वजन के बच्चों को थर्डमील पूरक पोषण आहार भी प्रदाय किया जाएगा।
- प्रत्येक आंगनवाड़ी में रसोईघर की सुविधा होगी और पीने का स्वच्छ पानी एवं शौचालय उपलब्ध करवाया जायेगा।
- शाला त्यागी एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार (राज्यवार स्थिति देखें)।

1.0 सामान्य जानकारी

1.1 जिले का नाम ..... 1.2 ब्लॉक का नाम .....

1.3 पंचायत का नाम ..... 1.4 गाँव का नाम .....

1.5 आंगनवाड़ी क्रमांक .....

1.6 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम

तिमाही	आंगनवाड़ी क्षेत्र में कुल परिवार	किशोरी बालिकाओं की संख्या	6 माह से 3 साल के बच्चों की संख्या	3 से 6 साल के बच्चों की संख्या	3 से 6 साल की उम्र के बच्चों की औसत उपस्थिति	कम वजन एवं कुपोषित बच्चों की संख्या				5 साल की उम्र तक के बच्चों की मृत्यु संख्या
						मध्यम कुपोषित	गम्भीर कुपोषित	मध्यम कम वजन	अति कम वजन	
प्रथम तिमाही										
दूसरी तिमाही										
तीसरी तिमाही										
चौथी तिमाही										

2.0 सुविधाओं के अवलोकन एवं चर्चा के बिंदु स्थिति के संकेतक अच्छी स्थिति मध्यम स्थिति खराब स्थिति		माह			
		स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही
2.1	आंगनवाड़ी में 6 माह से 6 साल के बच्चों का पंजीयन ?				
2.2	आंगनवाड़ी में बच्चों की उपस्थिति अच्छी रहती है ?				
2.3	3-6 साल के बच्चों हेतु गर्म पका भोजन का नियमित वितरण होता है ?				
2.4	6 माह से 3 साल के बच्चों को टीएचआर मिलता है ? घर पर बच्चे ही खाते हैं ?				
2.5	5 साल के बच्चों की वृद्धि निगरानी (वजन, लम्बाई और उम्र) होती है ?				
2.6	कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषण आहार मिलता है ?				
2.7	आंगनवाड़ी में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं का पंजीयन ?				
2.8	गर्भवती और धात्री महिलाओं को टीएचआर नियमित रूप से मिलता है ? घर पर महिलायें ही खाती हैं ?				
2.9	किशोरी बालिकाओं को जानकारी एवं मार्गदर्शन, पोषण आहार ?				
2.10	समुदाय को आंगनवाड़ी सेवाओं एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी ?				
2.11	एनीमिया की जांच एवं आईएफए / आयरन की गोली का वितरण हो रहा है ?				
2.12	आंगनवाड़ी भवन, पेयजल और शौचालय की स्थिति ?				

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पक्ष _____

निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

माह				माह			
स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही	स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पक्ष _____

निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

2.0 सुविधाओं के अवलोकन एवं चर्चा के बिंदु स्थिति के संकेतक अच्छी स्थिति मध्यम स्थिति खराब स्थिति		माह			
		स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही
2.1	आंगनवाड़ी में 6 माह से 6 साल के बच्चों का पंजीयन ?				
2.2	आंगनवाड़ी में बच्चों की उपस्थिति अच्छी रहती है ?				
2.3	3-6 साल के बच्चों हेतु गर्म पका भोजन का नियमित वितरण होता है ?				
2.4	6 माह से 3 साल के बच्चों को टीएचआर मिलता है ? घर पर बच्चे ही खाते हैं ?				
2.5	5 साल के बच्चों की वृद्धि निगरानी (वजन, लम्बाई और उम्र) होती है ?				
2.6	कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषण आहार मिलता है ?				
2.7	आंगनवाड़ी में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं का पंजीयन ?				
2.8	गर्भवती और धात्री महिलाओं को टीएचआर नियमित रूप से मिलता है ? घर पर महिलायें ही खाती हैं ?				
2.9	किशोरी बालिकाओं को जानकारी एवं मार्गदर्शन, पोषण आहार ?				
2.10	समुदाय को आंगनवाड़ी सेवाओं एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी ?				
2.11	एनीमिया की जांच एवं आईएफए / आयरन की गोली का वितरण हो रहा है ?				
2.12	आंगनवाड़ी भवन, पेयजल और शौचालय की स्थिति ?				
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पक्ष _____					
निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक					

सामुदायिक निगरानी का प्रपत्र

समुदाय द्वारा मातृत्व हक की निगरानी

3

सामुदायिक निगरानी कौन करेगा?

सामुदायिक समूह / महिला समूह / युवा समूह / स्वयं सहायता समूह / किसी कार्यक्रम के तहत गठित सामुदायिक समूह / सतर्कता समिति।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - मुख्य प्रावधान

देश में ज्यादातर महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आराम और पूरा पोषण नहीं मिलता है। इस चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गर्भवती/धात्री महिलाओं को मातृत्व लाभ के रूप में हर गर्भवती/धात्री महिला प्रथम गर्भावस्था के दौरान कम से कम 6,000 रु. का अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गयी योजना के तहत दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

क्र.	किश्त	शर्तें	राशि	सत्यापन स्रोत
1	प्रथम किश्त	गर्भावस्था के शीघ्र पंजीयन करने पर (एलएमपी के 150 दिन के अन्दर)	1,000.00	एमसीपी कार्ड - एएनएम/एओ द्वारा प्रमाणित
2	द्वितीय किश्त	गर्भावस्था के 6 माह तक 1 प्रसव पूर्व जांच पर (एलएमपी के 180 दिवस के पश्चात्)	2,000.00	एमसीपी कार्ड - एएनएम/एओ द्वारा प्रमाणित
3	तृतीय किश्त	नवजात शिशु के जन्म उपरांत पंजीयन कराने व शिशु को बीसीजी, ओपीबी, एचबीवी पेंटावेलेंट 1,2,3 का टीकाकरण कराने पर	2,000.00	शिशु के जन्म प्रमाणपत्र की छायाप्रति, एमसीपी कार्ड - एएनएम/एओ द्वारा प्रमाणित
	कुल		**5,000.00**	
संस्थागत प्रसव के बाद मातृत्व लाभ के मान्य नियमों के अनुरूप 1000/-रु. की राशि दी जाएगी। इस तरह कुल रु. 6,000 की राशि दी जाएगी।				

1.0 सामान्य जानकारी

1.1 जिले का नाम ..... 1.2 ब्लॉक का नाम .....

1.3 पंचायत का नाम ..... 1.4 गाँव का नाम .....

1.5 आंगनवाड़ी क्रमांक .....

1.6 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम

तिमाही	आंगनवाड़ी क्षेत्र में कुल परिवार	गर्भवती महिलाओं की संख्या	धात्री महिलाओं की संख्या	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र महिलाओं की संख्या	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आवेदार्थी महिलाओं की संख्या	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत भुगतान राशि प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या	किशोरी बालिकाओं की संख्या
प्रथम तिमाही							
दूसरी तिमाही							
तीसरी तिमाही							
चौथी तिमाही							

2.0 सुविधाओं के अवलोकन एवं चर्चा के बिंदु स्थिति के संकेतक अच्छी स्थिति मध्यम स्थिति खराब स्थिति		माह			
		स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही
2.1	आंगनवाड़ी में पंजीयन एवं आवेदन रजिस्टर है ?				
2.2	गर्भावस्था पंजीयन एवं एमपीपी कार्ड सभी महिलाओं का बना है ?				
2.3	प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना के बारे में महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया पता है ?				
2.4	प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना के तहत आवेदन की स्थिति एवं पावती ?				
2.5	प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना के तहत निर्धारित राशि के भुगतान की स्थिति ?				
2.6	प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना का लाभ समय से मिल रहा है ?				
2.7	गर्भावस्था के दौरान निर्धारित जांचें एवं टीकाकरण ?				
2.8	प्रसव के बाद जांचें एवं टीकाकरण ?				
2.9	क्या गर्भावस्था के दौरान कठोर श्रम करना पड़ता है ?				
2.10	क्या आधार, बैंक अकाउंट आदि के कारण, नाम परिवर्तन से दिक्कतें होती हैं ?				
2.11	क्या आंगनवाड़ी से नियमित रूप से पोषण आहार (टीएचआर) मिलता है ?				
2.12	शिशु के जन्म के बाद बीसीजी, ओपीवी, पेंटावेलेंट का टीका सभी बच्चों को लगा है ?				
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पक्ष _____					
निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक					

माह				माह			
स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही	स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पक्ष _____

निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

2.0 सुविधाओं के अवलोकन एवं चर्चा के बिंदु स्थिति के संकेतक अच्छी स्थिति मध्यम स्थिति खराब स्थिति		माह			
		स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही
2.1	आंगनवाड़ी में पंजीयन एवं आवेदन रजिस्टर है ?				
2.2	गर्भावस्था पंजीयन एवं एमपीपी कार्ड सभी महिलाओं का बना है ?				
2.3	प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना के बारे में महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया पता है ?				
2.4	प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना के तहत आवेदन की स्थिति एवं पावती ?				
2.5	प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना के तहत निर्धारित राशि के भुगतान की स्थिति ?				
2.6	प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना का लाभ समय से मिल रहा है ?				
2.7	गर्भावस्था के दौरान निर्धारित जांचें एवं टीकाकरण ?				
2.8	प्रसव के बाद जांचें एवं टीकाकरण ?				
2.9	क्या गर्भावस्था के दौरान कठोर श्रम करना पड़ता है ?				
2.10	क्या आधार, बैंक अकाउंट आदि के कारण, नाम परिवर्तन से दिक्कतें होती हैं ?				
2.11	क्या आंगनवाड़ी से नियमित रूप से पोषण आहार (टीएचआर) मिलता है ?				
2.12	शिशु के जन्म के बाद बीसीजी, ओपीवी, पेंटावेलेंट का टीका सभी बच्चों को लगा है ?				

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पक्ष _____

निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

सामुदायिक निगरानी का प्रपत्र

समुदाय द्वारा मातृत्व पोषण एवं व्यवहार की निगरानी

4

सामुदायिक निगरानी कौन करेगा?

सामुदायिक समूह / महिला समूह / युवा समूह / स्वयं सहायता समूह / किसी कार्यक्रम के तहत गठित सामुदायिक समूह / सतर्कता समिति।

मातृ एवं शिशु सुरक्षा में समुदाय की भूमिका

- लड़कियों के विवाह की उम्र 18 या 18 वर्ष से अधिक और गर्भधारण की उम्र 19 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- गर्भावस्था में आंगनवाड़ी में शीघ्र पंजीयन कराएँ एवं प्रसव पूर्व चार अनिवार्य जांचें तथा टीकाकरण सुनिश्चित करें।
- गर्भावस्था के दौरान पोषक आहार एवं आराम का खास ध्यान रखा जाना चाहिए।
- नवजात शिशु को जन्म के बाद 1 घंटे के अन्दर पहला गाढ़ा पीला दूध पिलाया जाना चाहिए एवं 6 माह तक केवल मां का दूध ही पिलाया जाना चाहिए।
- 6 माह के बाद शिशु को मां के दूध के साथ ऊपरी आहार (मसले हुए फल, सब्जियां, दाल तथा घी या तेल आदि) दिया जाना चाहिए।
- शिशु के कम वजन हो जाने या कुपोषित होने की स्थिति में अतिरिक्त पोषक आहार एवं विशेष देखभाल की जरुरत होती है। गंभीर स्थिति से बचने के लिए शिशु को स्वास्थ्य कार्यकर्ता या अस्पताल में दिखाएँ एवं टीकाकरण कराएँ।

1.0 सामान्य जानकारी

1.1 जिले का नाम ..... 1.2 ब्लॉक का नाम .....

1.3 पंचायत का नाम ..... 1.4 गाँव का नाम .....

1.5 आंगनवाड़ी क्रमांक .....

1.6 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम

तिमाही	आंगनवाड़ी क्षेत्र में कुल परिवार	खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या	खतरे के लक्षण वाली धात्री महिलाओं की संख्या	मातृ मृत्यु संख्या	18 साल से कम उम्र में विवाहित महिलाओं की संख्या
प्रथम तिमाही					
दूसरी तिमाही					
तीसरी तिमाही					
चौथी तिमाही					

2.0 सुविधाओं के अवलोकन एवं चर्चा के बिंदु स्थिति के संकेतक अच्छी स्थिति मध्यम स्थिति खराब स्थिति		माह			
		स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही
2.1	समुदाय को गर्भावस्था देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की जानकारी-महिला एवं पुरुषों को ?				
2.2	समुदाय में गर्भावस्था में खानपान (पोषक आहार) एवं आराम की स्थिति ?				
2.3	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में पुरुषों की भूमिका ?				
2.4	सुरक्षित / संस्थागत प्रसव की स्थिति ?				
2.5	गर्भावस्था के दौरान आवश्यक जांचें एवं टीकाकरण की स्थिति ?				
2.6	समुदाय में नवजात शिशु को पहला गाढ़ा पीला दूध (कोलेस्ट्रम) पिलाने की प्रथा ?				
2.7	6 माह तक के बच्चों को केवल स्तनपान की स्थिति ?				
2.8	समुदाय में 6 माह से 6 साल की आयु के बच्चों को ऊपरी आहार खिलाने की स्थिति ?				
2.9	टीएचआर का उपयोग लक्षित महिला के पोषण आहार के लिए ही होता है ?				
2.10	परिवारों में कुपोषित/अति कुपोषित बच्चे की देखभाल (संक्रमण से सुरक्षा, पोषण आहार, नियमित जांच आदि) की स्थिति ?				
2.11	भोजन विविधता को बढ़ाने के लिये सामुदायिक उपाय (किचन गार्डन, अनाज बैंक, जैविक खेती, मुर्गी पालन आदि) ?				
2.12	सभी महिलाओं का विवाह 18 या 18 वर्ष से ऊपर की उम्र में होता है ?				

निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

माह				माह			
स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही	स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही

निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

2.0 सुविधाओं के अवलोकन एवं चर्चा के बिंदु स्थिति के संकेतक अच्छी स्थिति मध्यम स्थिति खराब स्थिति		माह			
		स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही
2.1	समुदाय को गर्भावस्था देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की जानकारी-महिला एवं पुरुषों को ?				
2.2	समुदाय में गर्भावस्था में खानपान (पोषक आहार) एवं आराम की स्थिति ?				
2.3	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में पुरुषों की भूमिका ?				
2.4	सुरक्षित / संस्थागत प्रसव की स्थिति ?				
2.5	गर्भावस्था के दौरान आवश्यक जांचें एवं टीकाकरण की स्थिति ?				
2.6	समुदाय में नवजात शिशु को पहला गाढ़ा पीला दूध (कोलेस्ट्रम) पिलाने की प्रथा ?				
2.7	6 माह तक के बच्चों को केवल स्तनपान की स्थिति ?				
2.8	समुदाय में 6 माह से 6 साल की आयु के बच्चों को ऊपरी आहार खिलाने की स्थिति ?				
2.9	टीएचआर का उपयोग लक्षित महिला के पोषण आहार के लिए ही होता है ?				
2.10	परिवारों में कुपोषित/अति कुपोषित बच्चे की देखभाल (संक्रमण से सुरक्षा, पोषण आहार, नियमित जांच आदि) की स्थिति ?				
2.11	भोजन विविधता को बढ़ाने के लिये सामुदायिक उपाय (किचन गार्डन, अनाज बैंक, जैविक खेती, मुर्गी पालन आदि) ?				
2.12	सभी महिलाओं का विवाह 18 या 18 वर्ष से ऊपर की उम्र में होता है ?				

निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

सामुदायिक निगरानी का प्रपत्र

मध्यान्ह भोजन (एमडीएम)

5

सामुदायिक निगरानी कौन करेगा?

सामुदायिक समूह / महिला समूह / युवा समूह / स्वयं सहायता समूह / किसी कार्यक्रम के तहत गठित सामुदायिक समूह / सतर्कता समिति।

मध्यान्ह भोजन (एमडीएम) - मुख्य प्रावधान

- मध्यान्ह भोजन योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीनयुक्त भोजन, कक्षा 6 से 8 कक्षा तक के बच्चों को 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीनयुक्त गर्म पका भोजन स्कूल में छुट्टी के दिनों को छोड़कर हर रोज नि:शुल्क दिया जाने का प्रावधान है।
- प्रत्येक स्कूल में रसोईघर, पीने का साफ पानी, शौचालय उपलब्ध करवाया जाएगा।
- जरूरत पड़ने पर शहरी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के मापदंडों पर केन्द्रीयकृत रसोई से मध्यान्ह भोजन दिया जा सकता है।
- स्कूलों में गर्मी की छुट्टियाँ लग जाने पर मध्यान्ह भोजन भी बंद हो जाता है, लेकिन कानून कहता है कि जिस क्षेत्र में सूखा घोषित होगा, वहां के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में भी मध्यान्ह भोजन चालू रहेगा।
- मध्यप्रदेश में इस योजना के तहत बच्चों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन दूध पाउडर से दूध बना कर दिया जाता है।

1.0 सामान्य जानकारी

1.1 जिले का नाम ..... 1.2 ब्लॉक का नाम .....

1.3 पंचायत का नाम ..... 1.4 गाँव का नाम .....

1.5 स्कूल का नाम .....

1.6 मध्यान्ह भोजन बनाने वाली कार्यकर्ता का नाम

तिमाही	प्राथमिक स्कूल में कुल दर्ज बच्चे	माध्यमिक स्कूल में कुल दर्ज बच्चे	मध्यान्ह भोजन प्राप्त करने वाले कुल बच्चे	स्कूल से बाहर किशोरी बालिकाओं की संख्या
प्रथम तिमाही				
दूसरी तिमाही				
तीसरी तिमाही				
चौथी तिमाही				

2.0 सुविधाओं के अवलोकन एवं चर्चा के बिंदु स्थिति के संकेतक अच्छी स्थिति मध्यम स्थिति खराब स्थिति		माह			
		स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही
2.1	मध्यान्ह भोजन के तहत उपलब्ध सुविधाओं एवं सेवाओं (रसोईघर, ईंधन एवं स्वच्छता) की स्थिति ?				
2.2	स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था एवं लड़कों एवं लड़कियों हेतु अलग शौचालय ?				
2.3	खाद्य भंडारण की व्यवस्था, स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर की स्थिति ?				
2.4	शाला प्रबंधन समिति एवं सतर्कता समिति की भूमिका ?				
2.5	समुदाय को मध्यान्ह भोजन सेवाओं एवं सुविधाओं व शिकायत निवारण के बारे में जानकारी है ?				
2.6	क्या सभी 6 से 14 साल के बच्चे स्कूल में दर्ज हैं और स्कूल नियमित जाते हैं ?				
2.7	मध्यान्ह भोजन मेन्यू के अनुसार मिलता है ?				
2.8	मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता कैसी है ? भोजन की चखकर गुणवत्ता जाँच ?				
2.9	मध्यान्ह भोजन वितरण से पहले बच्चों का हाथ धुलाया जाता है ?				
2.10	भोजन वितरण व्यवस्था, कोई भेदभाव की स्थिति है ?				
2.11	बच्चे क्या घर पर दोपहर भोजन हेतु नहीं आते हैं ?				
2.12	मध्यान्ह भोजन से बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है ?				

मध्यान्ह भोजन बनाने वाली महिलाओं का पक्ष _____

निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

माह				माह			
स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही	स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही

मध्यान्ह भोजन बनाने वाली महिलाओं का पक्ष _____

निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

2.0 सुविधाओं के अवलोकन एवं चर्चा के बिंदु स्थिति के संकेतक अच्छी स्थिति मध्यम स्थिति खराब स्थिति		माह			
		स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही
2.1	मध्यान्ह भोजन के तहत उपलब्ध सुविधाओं एवं सेवाओं (रसोईघर, ईंधन एवं स्वच्छता) की स्थिति ?				
2.2	स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था एवं लड़कों एवं लड़कियों हेतु अलग शौचालय ?				
2.3	खाद्य भंडारण की व्यवस्था, स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर की स्थिति ?				
2.4	शाला प्रबंधन समिति एवं सतर्कता समिति की भूमिका ?				
2.5	समुदाय को मध्यान्ह भोजन सेवाओं एवं सुविधाओं व शिकायत निवारण के बारे में जानकारी है ?				
2.6	क्या सभी 6 से 14 साल के बच्चे स्कूल में दर्ज हैं और स्कूल नियमित जाते हैं ?				
2.7	मध्यान्ह भोजन मेन्यू के अनुसार मिलता है ?				
2.8	मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता कैसी है ? भोजन की चखकर गुणवत्ता जाँच ?				
2.9	मध्यान्ह भोजन वितरण से पहले बच्चों का हाथ धुलाया जाता है ?				
2.10	भोजन वितरण व्यवस्था, कोई भेदभाव की स्थिति है ?				
2.11	बच्चे क्या घर पर दोपहर भोजन हेतु नहीं आते हैं ?				
2.12	मध्यान्ह भोजन से बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है ?				

मध्यान्ह भोजन बनाने वाली महिलाओं का पक्ष _____

निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

सामुदायिक निगरानी का प्रपत्र

समुदाय द्वारा महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की निगरानी

6

सामुदायिक निगरानी कौन करेगा?

सामुदायिक समूह / महिला समूह / युवा समूह / स्वयं सहायता समूह / किसी कार्यक्रम के तहत गठित सामुदायिक समूह / सतर्कता समिति।

महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - मुख्य प्रावधान

- गांव के सभी परिवारों का ग्राम पंचायत के द्वारा आवेदन ले कर रोजगार कार्ड बनाया जाता है।
- सभी रोजगार कार्ड धारक परिवारों को काम की मांग करने पर एक साल में 100 दिन का रोजगार मिलता है।
- काम मांगने वालों की अर्जी पर पावती दी जाती है।
- काम अपनी पंचायत के क्षेत्र में ही दिया जायेगा, यदि काम के स्थान की दूरी 5 किमी से अधिक होती है तो 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
- काम मांगे जाने पर यदि 15 दिन के अंदर काम न उपलब्ध कराया गया तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।
- काम की मजदूरी का भुगतान 15 दिन के अंदर किया जाएगा, यदि 15 दिन में भुगतान नहीं किया गया तो मुआवजा दिया जाएगा।
- योजना पर नजर रखने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति का गठन किया गया है।
- योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु सामाजिक संपरीक्षा व्यवस्था का प्रावधान है।

1.0 सामान्य जानकारी

1.1 जिले का नाम ..... 1.2 ब्लॉक का नाम .....

1.3 पंचायत का नाम ..... 1.4 गाँव का नाम .....

1.5 पंचायत सचिव का नाम .....

1.6 गांव की सामान्य जानकारी

कुल परिवार	कुल जनसंख्या	जॉबकार्डधारी परिवार	काम मांगने वाले परिवारों की संख्या	काम पाने वाले परिवारों की संख्या	100 दिन का रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या

2.0 सुविधाओं के अवलोकन एवं चर्चा के बिंदु स्थिति के संकेतक अच्छी स्थिति मध्यम स्थिति खराब स्थिति		माह			
		स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही
2.1	क्या गांव के सभी परिवारों के जॉब कार्ड बने हैं ?				
2.2	क्या मनरेगा के तहत काम उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर श्रमिक बजट एवं योजना बनायी गयी हैं ?				
2.3	क्या काम मांगने की अर्जी लगाने पर लोगों को पावती दी जाती है ?				
2.4	क्या ग्राम पंचायत कार्यालय में मनरेगा के बारे में मुख्य जानकारी प्रदर्शित की गयी है ?				
2.5	क्या समुदाय को मनरेगा की मुख्य बातें (100 दिन का काम का अधिकार, काम मांगने पर पावती, 15 दिन के अंदर काम, काम करने के बाद 15 दिन के अंदर मजदूरी के भुगतान के बारे में) पता है ?				
2.6	क्या गांव के सभी लोगों को पंचायत द्वारा काम न दिए जाने पर बेरोजगारी भत्ता पाने के अधिकार के बारे में पता है ?				
2.7	क्या गांव के सभी परिवारों को मजदूरी की दर एवं मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया तथा समय-सीमा के बारे में पता है ?				
2.8	क्या काम मांगने पर पंचायत द्वारा 15 दिन के अंदर काम खोल दिया जाता है ?				
2.9	क्या पंचायत द्वारा काम की मजदूरी का भुगतान 15 दिन से पहले कर दिया जाता है ?				
2.10	क्या काम के स्थान पर बच्चों की देखभाल के लिए शिशु की देखभाल हेतु पालना घर एवं पीने के पानी तथा प्राथमिक चिकित्सा हेतु उचित व्यवस्था की जाती है ?				
2.11	क्या मनरेगा में काम का अवसर मिलने से लोगों की पारिवारिक आमदनी बढ़ी है ?				
2.12	क्या मनरेगा के तहत काम मिलने से परिवारों में खाद्य सुरक्षा बढ़ी है यानि परिवारों में पर्याप्त अनाज एवं सब्जियां, दालें आदि खरीदने की क्षमता बढ़ी है ?				

निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

माह				माह			
स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही	स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही

निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

2.0 सुविधाओं के अवलोकन एवं चर्चा के बिंदु स्थिति के संकेतक अच्छी स्थिति मध्यम स्थिति खराब स्थिति		माह			
		स्थिति (✓) करें			सुधार के लिए निर्णय, भूमिका और कार्यवाही
2.1	क्या गांव के सभी परिवारों के जॉब कार्ड बने हैं ?				
2.2	क्या मनरेगा के तहत काम उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर श्रमिक बजट एवं योजना बनायी गयी हैं ?				
2.3	क्या काम मांगने की अर्जी लगाने पर लोगों को पावती दी जाती है ?				
2.4	क्या ग्राम पंचायत कार्यालय में मनरेगा के बारे में मुख्य जानकारी प्रदर्शित की गयी है ?				
2.5	क्या समुदाय को मनरेगा की मुख्य बातें (100 दिन का काम का अधिकार, काम मांगने पर पावती, 15 दिन के अंदर काम, काम करने के बाद 15 दिन के अंदर मजदूरी के भुगतान के बारे में) पता है ?				
2.6	क्या गांव के सभी लोगों को पंचायत द्वारा काम न दिए जाने पर बेरोजगारी भत्ता पाने के अधिकार के बारे में पता है ?				
2.7	क्या गांव के सभी परिवारों को मजदूरी की दर एवं मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया तथा समय-सीमा के बारे में पता है ?				
2.8	क्या काम मांगने पर पंचायत द्वारा 15 दिन के अंदर काम खोल दिया जाता है ?				
2.9	क्या पंचायत द्वारा काम की मजदूरी का भुगतान 15 दिन से पहले कर दिया जाता है ?				
2.10	क्या काम के स्थान पर बच्चों की देखभाल के लिए शिशु की देखभाल हेतु पालना घर एवं पीने के पानी तथा प्राथमिक चिकित्सा हेतु उचित व्यवस्था की जाती है ?				
2.11	क्या मनरेगा में काम का अवसर मिलने से लोगों की पारिवारिक आमदनी बढ़ी है ?				
2.12	क्या मनरेगा के तहत काम मिलने से परिवारों में खाद्य सुरक्षा बढ़ी है यानि परिवारों में पर्याप्त अनाज एवं सब्जियां, दालें आदि खरीदने की क्षमता बढ़ी है ?				

निगरानी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

हमारा मान, हमारा संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

(किसी भी संवाद/पहल की शुरुआत हम संविधान की उद्देशिका के सस्वर वाचन से करते हैं। आप भी करिए, अच्छा लगेगा।)

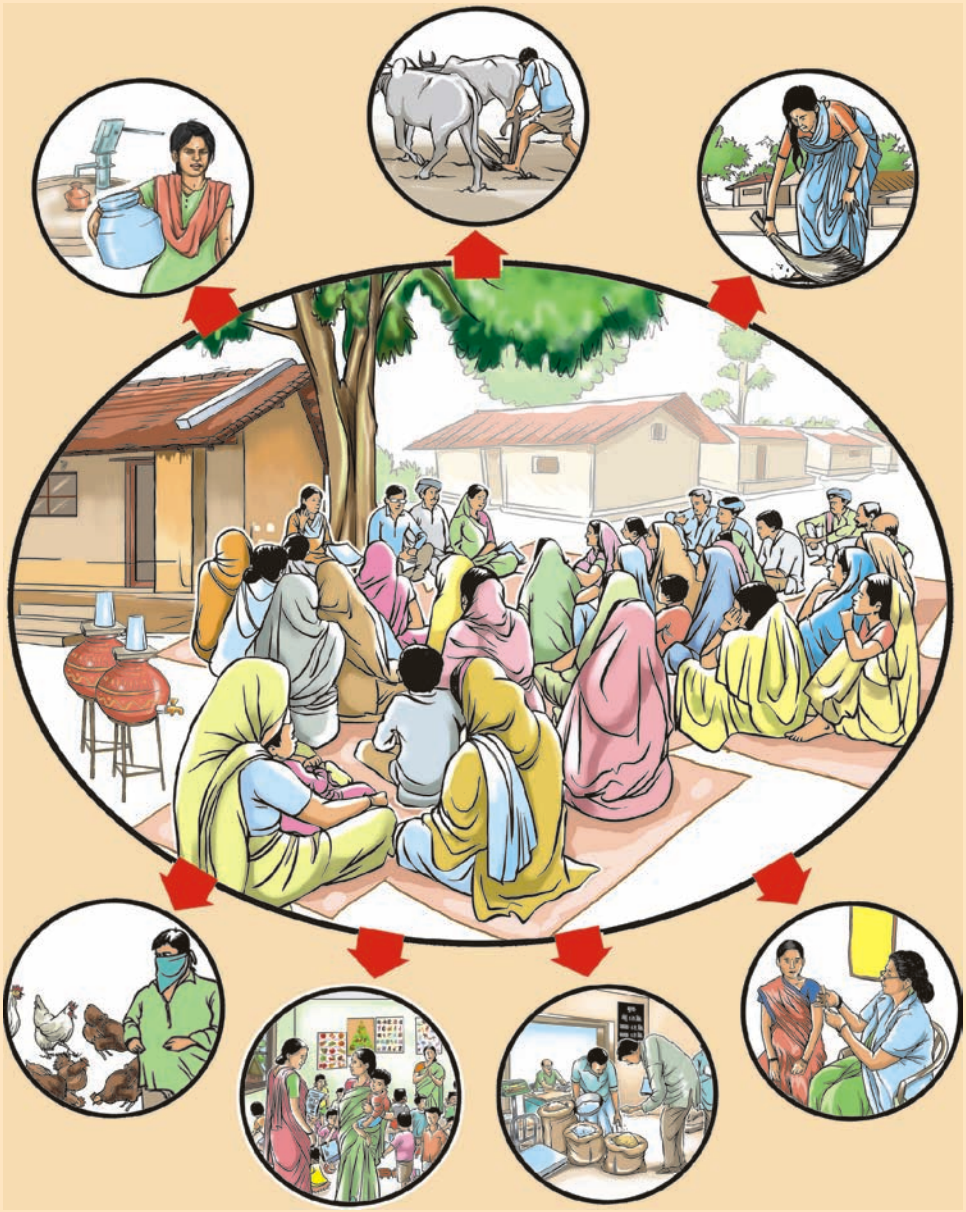

VIKAS SAMVAD